

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-९१ किमी० ३५६.००० से किमी० ४१४.००० तक फोर लेन चौड़ीकरण का संयुक्त निरीक्षण प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर एवं श्री पी०पी० सिंह, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ के द्वारा दिनांक ६.२.२०१८ को किया गया। परियोजना में प्रभावित ९३.९७५ है० संरक्षित वन भूमि तथा ४८१७ वृक्ष बाधक हैं। इस भूमि के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि नहीं है तथा आवेदित संरक्षित भूमि की मांग न्यूनतम है।



(पी०पी० सिंह),

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

प०क०३०-अलीगढ़।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प०क०३-अलीगढ़
National Highways Authority of India, P.O. Aligarh
(क्याब प्रकृति एवं वन विभाग, भारत सरकार)

||| Mirat ||| 15.2.2018

प्र(एस०एस० श्री वास्तव),

सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कानपुर।